

टैक्स की हेराफेरी पकड़े जाने पर फर्म के सीए से भी होगी पूछताछ

सख्ती

कौशिक रंजन ▶ पटना

आयकर विभाग अब जिन फर्म या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रेड होगी और वहां से बड़े स्तर पर गड़बड़ी या टैक्स की हेराफेरी के दस्तावेज मिलते हैं, इनका नियमित ऑडिट करने वाले सीए से भी पूछताछ की जायेगी. किसी फर्म में टैक्स की करोड़ों रुपये की हेराफेरी होती है, तो ऑडिट की रिपोर्ट में इस पर सवाल क्यों नहीं उठाये गये या इन्हें क्यों नहीं पकड़ा गया, ये बातें संबंधित सीए या ऑडिट करने वाले फर्म से पूछे जायेंगे.

टैक्स में करोड़ों की हेराफेरी करने वालों को वार्षिक या अर्धवार्षिक ऑडिट रिपोर्ट में क्लीन चिट कैसे दी गयी, इस पर स्थिति स्पष्ट करनी होगी. कुछ दिनों पहले आयकर विभाग ने झारखंड के दो सीए (चार्टर्ड एकाउंटेंट) फर्म को नोटिस भेजा है. इनसे पूछा गया है कि ऑडिट में इन्हें गड़बड़ी क्यों नहीं दिखी या जानबूझ कर इन्होंने एकाउंट या बुक में मौजूद गलतियों को नजरअंदाज किया है.

○ आयकर विभाग की कार्ययोजना तैयार, जल्द होगी कार्रवाई

अगर ऐसा है, तो इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जायेगी. आने वाले दिनों में इस तरह की नोटिस बिहार के भी कई फर्म को भेजने की तैयारी है. इन सीए को नोटिस देकर इनसे भी संबंधित फर्म की गड़बड़ी नहीं पकड़ने या इन्हें बचाने का कारण पूछा जायेगा. हाल के दिनों में आयकर विभाग ने अमहारा कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड समेत कुछ अन्य फर्म पर टैक्स गड़बड़ी को लेकर सघन छापेमारी की थी. इसमें एकाउंट एवं बुक के अलावा कई अन्य स्थानों पर टैक्स में बड़े स्तर पर गड़बड़ी पायी गयी है. जांच में यह भी मिला कि जिन बुक एवं एकाउंट में टैक्स की व्यापक हेराफेरी मिली है, उसे ऑडिट में संबंधित सीए या ऑडिट करने वाली फर्म ने क्लीन चिट दे रखा है. इसके मद्देनजर आयकर विभाग ने टैक्स की गड़बड़ी करने वाले व्यावसायिक फर्म की ऑडिट करने वालों पर भी कार्रवाई करने की कार्ययोजना तैयार की है. इसे अमलीजामा पहनाया जा रहा है.